

(4) 28  
1A

28  
28/3/04

Principal

10/5

2004-05  
के अन्तर्गत  
अनुदान

राजस्थान सरकार  
योग्यता, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.4 (23) लेखा / आकाशि / अनु. / 2004-05 / 105 दिनांक 28 मार्च 2004

कुल सचिव  
महर्षि दत्तानन्द संस्कृती, विश्वविद्यालय  
अजमेर

विषय:- श्री वर्द्धमान कृष्ण महाविद्यालय, ब्यावर में संघालित कला एवं वाणिज्य संकाय के विषयों को सत्र 2004-05 से स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ संघ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्वयित सत्र 2004-05 के अन्तर्गत प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निर्देशानुसार श्री वर्द्धमान कृष्ण महाविद्यालय, ब्यावर जिला अजमेर में संघालित कला संकाय में स्थायी स्तर पर-- अनिवार्य विषयों सहित, हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र, भारतीय संगीत, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, इतिहास, संस्कृत, जीव विज्ञान एवं जल दर्शन तथा वाणिज्य संकाय में स्नातक स्तर पर-- ए.बी.एस.टी., ई.ए.एफ.एम. एवं व्यवसाय प्रशासन विषयों हेतु सत्र 2004-05 से स्थायी विषयों में स्थाई प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ जारी किया जाता है-

1. संस्था संबंधित विषयविद्यालय से समुदहन प्राप्त करेगी तथा समुदहन हेतु निर्धारित शर्तों का पूर्ण पालना करेगी।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हतावासी व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अध्यापिका स्टाफ की नियुक्ति करेगी।
3. संस्था का वर्तमान एवं भविष्य में कोई वित्तीय सहायता देय नहीं होगी।
4. संस्था राज्य सरकार / आयुक्त, कालेज शिक्षा, के सभी निर्देशों का पालना करेगी।
5. संस्था विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के संयुक्त धारों में निर्धारित एण्टीमेंट राशि जमा करायेगी।
6. संस्था द्वारा महाविद्यालय में अध्यापन हेतु नियत सभी मूलमूल आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराती रहेंगी।

(बी.एल.आय)  
आयुक्त

1. निम्नलिखित को सुदुनार्थ एवं आंतरिक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-  
निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा सभा, कालेज, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, अजमेर।
7. अधिवक्ता समिति, श्री वर्द्धमान कृष्ण महाविद्यालय, जेठरू नगर बाहर समीप कृष्णा कालोनी, ब्यावर
8. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. कंसुकर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सार्वजनिक शाखा कालेज शिक्षा
11. उपरि उल्लेखित/ महाविद्यालय पत्रावली
12. उचित पत्रावली।

(K)  
प्रमुख

श्री वर्द्धमान कृष्ण महाविद्यालय  
ब्यावर (जयपुर)

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)  
कालेज शिक्षा, राजस्थान,  
जयपुर।